

2024/808

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ


कृष्ण

बनाम

ओमप्रकाश आदि

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 570 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.12.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा 27.01.2025 को पेश हो।	
27.1.2025	<p>वकील ए. क. सिकन उपस्थित/PU माह: अपना ^{अपना}</p> <p>मे. वाद है। पत्रावली प्रतिवादी से। ने जरिये वकील 01. फर आदिगण</p> <p>वास्तु अपना 01. दिनांक 10/01/2025 11 CPC पत्र किया</p> <p>क पेश है कि</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
10.1.2025	<p>वकील ए. क. सिकन उपस्थित/PU माह: अपना ^{अपना}</p> <p>मे. वाद है। पत्रावली प्रतिवादी से।</p> <p>वास्तु अपना 01. दिनांक 20.1.2025</p> <p>क पेश है कि</p>	
20/1/2025	<p>पत्रावली फर्दिने उपस्थित। वकील ए. क. ने आर्चना फर</p> <p>आदेश न नियम 11 CPC फेर किया। आर्चना फर पर</p> <p>पत्रावली फर्दिने की वकालतुनी गई। पत्रावली का</p> <p>अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अवलोकन रिपोर्ट से जरिये</p> <p>होता है कि वाद फर में वर्णित अदि मुक्ति से संबंधित एड</p> <p>वाड सं. 05/2023 अन्तर्गत धारा 53,188 की अन्तर्गत</p> <p>द्वारा निर्णय दिनांक 02/01/2024 को निर्णित हो चुका है।</p> <p>वकील द्वारा अन्तर्निर्णय की वकील का की जाकर नया वाद</p> <p>पेश किया है जो कि कि दार वर्णित है। अन्तः आर्चना फर</p> <p>आदेश न नियम 11 CPC खींचा किया जाकर वाद वादी</p> <p>खींचा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से फर की जाकर</p> <p>वाद तदतीव तत्प्रीत जाकर दक्षिण दक्षिण हो। खचरि</p> <p>फर्दिने अपना-अपना बहन सेजे)</p> <p>आदेश आज दिनांक 20/1/2025 को सेरे इकलास</p> <p>कुनामा गया।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	

10/1/25

10.1.25

00